RIGHT TO INFORMATION

No. RTIA/JR(M)-HCIND/1025 इन्दौर दि. 05.08.2020

प्रति,

श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी
शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि., नीमच
नीमच (म.प्र.)

विषय :- रिट याचिका क्र./3552/2014 की ओ.आई.सी द्वारा जवाब की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये जाने विषयक।

संदर्भ :- आपके पत्र जा/2020/451 नीमच दिनांक 13/07/2020 के संदर्भ में।

महोदय,

यह कि आपके द्वारा एक पत्र जावक क्र.2020/451 नीमच दिनांक 13/07/2020 लोक सूचना अधिकारी, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को संबोधित करते हुये भेजा गया जो कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता को आवक क्र. 971 दिनांक 25/07/2020 के द्वारा प्राप्त हुआ हैं, जिसमें रिट याचिका क्र.3552/2014 की ओ. आई.सी द्वारा जवाब की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये जाने संबंधी जानकारी चाही गई है तथा जिसे लोक सूचना अधिकारी, म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के आर.टी. आई के आई.डी. क्र.18/2020-2021 दिनांक 25/07/2020 पर अंकित किया गया हैं।

इस संबंध में High Court of Madhya Pradesh (Right to Information) Rules, 2006 के अनुसार आपके द्वारा Right to Information Act, 2005 की धारा 6(3) के अनुसार FORM "C" Outside the Jurisdiction of the authorized person [See Rule-4(1)] में जानकारी भरकर नहीं भेजी गई है न ही आवेदक श्रीमती पुष्पलता सक्सेना द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन पत्र की प्रति ही उक्त पत्र के साथ संलग्न की हैं तथा आपके पत्र में रिट याचिका क्र.3552/2014 में संबंधित पक्षकारो के नाम भी अंकित नहीं किये गये है। इस प्रकरण में पार्टी के नाम अरविन्द कुमार वि. शासन व 2 अन्य हैं तथा यह प्रकरण म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर में लम्बित हैं तथा श्रीमती पुष्पलता सक्सेना द्वारा इस प्रकरण में जो जानकारी मांगी जा रही है वे इस प्रकरण में संबंधित पक्षकार ही प्रतीत नहीं होती है। संबंधित पक्षकार द्वारा कॉपिंग अनुभाग में आवेदन कर सर्टिफाईड कॉपी प्राप्त की जा सकती हैं थर्ड पार्टी द्वारा जानकारी मांगे जाने पर जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है तथा The High Court of Madhya Pradesh (Right to Information) Rules, 2006 के नियम 8(1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी न्यायिक प्रकरणों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिये जबाबदेय नहीं है जो The High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008 के Chapter-XVIII के अंतर्गत आवेदक द्वारा न्यायालय की प्रतिलिपि शाखा (Copying Section) से प्राप्त की जा सकती हैं।

अतः उपरोक्त कारणो से आपके पत्र जा/2020/451 नीमच दिनांक 13/07/2020 में अद्योहस्ताक्षरकर्ता कोई जानकारी देने में असमर्थ हैं।

दिनांक 05/08/2020

05.08.2020

(राजेश कुमार शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी, ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम)
म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर